रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 174] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 14, 2010/आषाढ़ 23, 1932
No. 174] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 14, 2010/ASADHA 23, 1932

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2010

सं. 28-22/2009-आयुर्वेद (पी.जी.डी.).—भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 36 की उप-धारा (1) के खंड (झ), (ञ) और (ट) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने आयुर्वेद में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के नियमन के लिए भारत सरकार की संस्वीकृति से निम्नलिखित विनियम विहित किए जाते हैं, नामतः :—

1. लघु शीर्षक और प्रारंभ.—(1) इन विनियमों को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम) विनियम, 2010 कहा जाएगा ।

(2) वे उनके कार्यालय राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे ।

2. परिभाषाएं.—इन विनियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) 'अधिनियम' का अभिप्राय भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 है;

(ख) 'परिषद्' का अभिप्राय भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् है;

(ग) 'मान्यता प्राप्त संस्था' का अभिप्राय भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 13 क या 13 ग के अन्तर्गत अनुमोदित एक संस्था है ।

3. लक्ष्य एवं उद्देश्य.—(1) नैदानिक विशेषताओं में कुशल आयुर्वेद विशेषज्ञ तैयार करना ।

(2) आयुर्वेद के क्षेत्र यथा-द्रव्यगुण, रसशास्त्र, भैषज्य कल्पना आदि में अनुसंधान और विकास के लिए विभिन्न विशेषताओं में विशेषज्ञों को तैयार करना ।

(3) विभिन्न विशेषताओं के क्षेत्र में निदान और प्रबंध के लिए निपुण और समर्थ बनाना ।

4. स्नातकोत्तर डिप्लोमा में विशेषताएं निम्न प्रकार हैं —

(1) पंचकर्म

(2) क्षारकर्म

(3) आयुर्वेदिक औषध (भेषज) निर्माण

(4) त्वक् रोग

(5) आयुर्वेदिक आहार विज्ञान

(6) स्वस्थवृत्त और योग

(7) प्रसूति एवं स्त्री रोग

(8) बाल रोग

(9) आयुर्वेदिक भेषज अभिज्ञान और मानकीकरण (द्रव्यगुण विज्ञान)

(10) मानसिक स्वास्थ्य

(11) नेत्र रोग

(12) रसायन और बाजीकरण

(13) आयुर्वेदिक संज्ञाहरण

(14) छाया एवं विकिरण विज्ञान

(15) मर्म एवं अस्थि चिकित्सा (ऑर्थोपेडिक्स)

(16) रोग निदान विधि (डायग्नोस्टिक तकनीक)

5. नाम पद्धति, स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम का विषय तथा विभाग जिसके अन्तर्गत विषय पाठ्यक्रम को शामिल किया जाएगा, को अनुसूची I में वर्णित किया गया है ।

6. प्रवेश पद्धति.—(क) पात्रता मानदण्ड :—

(1) अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित विश्वविद्यालय, बोर्ड या चिकित्सा संस्थानों से आयुर्वेदाचार्य (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी) में डिग्री प्राप्त करने वाले व्यक्ति स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के पात्र होंगे ।

(2) विश्वविद्यालय या बोर्ड या आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान जैसा भी होगा, द्वारा एक प्रवेश समिति गठित की जाएगी, जो कि प्रवेश प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करेगी ।

(ख) चयन की विधि :—

सभी श्रेणीयों के लिए अभ्यर्थी का चयन पूर्णत: सभी व्यावसायिक परीक्षाओं के स्नातक पूर्व पाठ्यक्रम के अंकों के पूर्णयोग के आधार पर तैयार सूची के अनुसार किया जाएगा ।

7. अध्ययन अवधि और उपस्थिति.—(1) स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए प्रशिक्षण की अवधि परीक्षा की अवधि सहित ''दो'' पूर्ण वर्षों की होगी ।

(2) प्रत्येक वर्ष परीक्षा में बैठने की पात्रता के लिए सिद्धांत और व्यवहार एवं संगोष्ठियों के कुल व्याख्यानों में छात्रों की उपस्थिति कम से कम 75% होनी चाहिए, जैसा कि परिषद् द्वारा विहित किया गया है ।

(3) अध्ययन की अवधि के दौरान छात्रों को अस्पताल की सभी ड्यूटी और अन्य ड्यूटी जैसा कि उनके लिये नियत किया गया है पूरी करनी होगी ।

(4) पाठ्य विवरण में विहित कार्यक्रम के अनुसार छात्रों को विशेष व्याख्यानों, प्रदर्शनों, संगोष्ठियों, अध्ययन दौरों तथा कुछ अन्य क्रियाकलापों में भाग लेना होगा ।

(5) छात्रों को सभी शिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा विभाग के अन्य कार्यकलापों में भाग लेना होगा ।

(6) संस्था द्वारा कम से कम एक संगोष्ठी प्रति सप्ताह आयोजित की जाएगी तथा प्रत्येक छात्र को उस संगोष्ठी में भाग लेना होगा । चुने हुए विषय पर प्रत्येक छात्र को प्रस्तुतिकरण देना होगा तथा अंतिम वर्ष की परीक्षा में भाग लेने के लिए कम से कम दस संगोष्ठियों में प्रस्तुतिकरण देना होगा ।

8 प्रशिक्षण की विधि.—(1) शास्त्रीय जानकारी में विशिष्ट प्रशिक्षण के साथ उस विशेषता में तुलनात्मक और विवेचनात्मक अध्ययन प्रदान किया जाएगा ।

(2) गहन अनुप्रयुक्त प्रशिक्षण पर जोर दिया जाए ।

(3) नैदानिक परीक्षण में छात्र स्वतंत्र रूप से रोगियों की चिकित्सा और प्रबन्धन तथा आपातकालीन चिकित्सा की जिम्मेदारी लेगा ताकि विशेषज्ञ के रूप में स्वतंत्र रूप से कार्य का ज्ञान प्राप्त कर सकें ।

(4) शल्य, शालाक्य तथा प्रसूति और स्त्री रोग की विशिष्टताओं में अन्वेषणात्मक प्रक्रियाओं, तकनीकों तथा शल्यप्रक्रिया को करने एवं सम्बन्धित विशिष्टताओं के प्रबन्धन में छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ।

(5) सैद्धान्तिक शिक्षण एवं प्रयोगात्मक प्रशिक्षण परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट पाठ्यविवरण के अनुसार होगा ।

9. परियोजना कार्य.—(1) द्वितीय वर्ष के अंतिम छह माह में छात्र को गाइड द्वारा आबंटित विषय पर परियोजना कार्य को प्रस्तुत करना होगा ।

(2) परियोजना कार्य का विषय प्रयोगात्मक तथा उस विशिष्टता में क्षमता विकसित करने में सहायक होना चाहिए ।

(3) परियोजना कार्य का विषय विशिष्टता की विषय सामग्री से सम्बन्धित होना चाहिए ।

10. परीक्षाएं.—किसी भी विषय में डिप्लोमा परीक्षा में सैद्धांतिक, नैदानिक, प्रयोगात्मक तथा मौखिक परीक्षा शामिल होगी ।

(1) **सिद्धान्त :** सिद्धान्त के दो प्रश्नपत्र होंगे तथा प्रत्येक प्रश्नपत्र के दो भाग होंगे । इनमें से एक प्रश्नपत्र में अनिवार्य रूप से सम्बन्धित विषय के मूल प्रश्न होंगे ।

(2) **नैदानिक :** विषय की नैदानिक परीक्षा में अभ्यर्थी के ज्ञान का मूल्यांकन तथा विशेषज्ञ के रूप में स्वतंत्र कार्य करने की सक्षमता की जांच होगी ।

(3) **व्यावहारिक :** व्यावहारिक परीक्षा में व्यावहारिक कौशल और सम्बन्धित विशिष्टता में सक्षमता का मूल्यांकन किया जाएगा ।

(4) **मौखिक परीक्षा :** मौखिक परीक्षा पूर्ण और छात्र के ज्ञान, सक्षमता, विषय को समझने तथा सम्बन्धित विषय के संप्रेषण कौशल के मूल्यांकन पर आधारित होगी जो कि परीक्षा के एक भाग के रूप में होगी ।

11. परीक्षाएं एवं मूल्यांकन.—स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम में निम्न प्रकार से दो परीक्षाएं होंगी :—

(1) छात्र को अंतिम परीक्षा में बैठने योग्य बनाने के लिए प्रवेश के बाद एक शैक्षिक वर्ष के अन्त में संस्थान, जहाँ छात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा होगा, द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा ली जाएगी ।

(2) अंतिम परीक्षा दूसरे वर्ष के अन्त में होगी। छात्रों को अंतिम वर्ष की परीक्षा से कम से कम 90 दिन पूर्व प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी ।

(3) परीक्षा का उद्देश्य नैदानिक कुशाग्रता, योग्यता और विशिष्टता के व्यावहारिक पहलुओं में छात्र के कार्यसाधक ज्ञान तथा विशेषज्ञ के रूप में स्वतंत्र कार्य करने के लिए उसकी योग्यता की जाँच होगी ।

(4) नैदानिक/प्रयोगात्मक परीक्षा का उद्देश्य छात्र की सक्षमता का सावधानीपूर्वक निर्धारण करना होगा ।

(5) प्रयोगात्मक परीक्षा में मौखिक परीक्षा के भाग में विशिष्टता के किसी भी पहलू पर विस्तृत चर्चा शामिल होगी ।

(6) न्यूनतम उत्तीर्णांक सिद्धान्त एवं व्यवहार में अलग-अलग 50% अंक होंगे तथा अधिकतम अनुग्रह अंक केवल एक प्रश्नपत्र में 05 होंगे ।

(7) पहले और दूसरे वर्ष में सिद्धान्त/प्रयोगात्मक के लिए प्रश्नपत्रों की संख्या एवं अंक अनुसूची-II में उल्लेख अनुसार होंगे ।

(8) विश्वविद्यालय द्वारा दो वर्षों के अन्त में संचालित अंतिम परीक्षा में 75% पाठ्यविवरण दूसरे वर्ष का और 25% पाठ्यविवरण पहले वर्ष का होगा ।

(9) विश्वविद्यालय के प्रश्नपत्र में पाठ्यविवरण के प्रत्येक विषय को लिया जाएगा ।

(10) न्यूनतम 50% उत्तीर्णांक होंगे, तथापि परिणाम में केवल संतोषजनक/असंतोषजनक सूचित किया जाएगा ।

12. परीक्षक.—(1) परीक्षक की नियुक्ति एक वर्ष के लिए होगी तथा परीक्षा के एक वर्ष के अन्तराल के बाद पुन: नियुक्त किया जा सकेगा ।

(2) परीक्षक रीडर/वरिष्ठ प्राध्यापक के पद से कम का नहीं होना चाहिए ।

(3) अनुबन्ध आधार पर नियुक्त या अस्थाई अध्यापक परीक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किये जायेंगे ।

(4) परीक्षक को स्नातकोत्तर शिक्षण में पाँच वर्ष का शिक्षण अनुभव होना चाहिए ।

(5) परीक्षक की आयु 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

13. स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं (अपेक्षाएं).—स्नातकोत्तर डिप्लोमा को विद्यमान मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर केन्द्रों में स्नातकोत्तर डिग्री के सम्बन्धित विषय में संचालित किया जाएगा ।

(1) केन्द्रों में सम्बन्धित विशिष्टता और विषय में प्रशिक्षण के लिए आवश्यक पर्याप्त आधारिक संरचना, उपस्कर, संकाय और सुविधाएं होनी चाहिएं ।

14. स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारकों के अधिकार और विशेषाधिकार.—(1) सम्बद्ध पद्धति में विशेषज्ञ के रूप में व्यवसाय करना ।

(2) स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारक सम्बन्धित विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर एम. डी. /एम. एस. आयुर्वेद पाठ्यक्रम में प्रवेश के पात्र होंगे तथा इन अभ्यर्थियों के लिए एम. डी./एम. एस. आयुर्वेद पाठ्यक्रम की अवधि केवल दो वर्ष होगी ।

15. छात्र शिक्षक अनुपात.—जहाँ पर सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त एक अतिरिक्त शिक्षक होगा वहाँ पर स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम की पांच सीटें प्रदान की जाएंगी तथा जहाँ पर कोई अतिरिक्त शिक्षक नहीं होगा वहाँ केवल दो सीटें प्रदान की जाएंगी ।

16. प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए छात्रों की संख्या.—स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स में छात्रों के प्रवेश की संख्या स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स में छात्रों की संख्या के समानुपात में होगी या प्रत्येक विषय में अधिकतम 5 छात्र ।

17. मान्यता के लिए मानदण्ड.—(1) अधिनियम की धारा 13क या 13ग में दी गई परिभाषा के अनुसार भारत सरकार द्वारा मान्यता- प्राप्त एक संस्था ।

(2) स्नातकोत्तर डिप्लोमा वहाँ संचालित किया जाएगा जहाँ संस्था द्वारा स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है ।

(3) केन्द्र को स्नातकीय तथा स्नातकोत्तर प्रशिक्षण हेतु परिषद् द्वारा विहित की गयी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करना होगा जो कि डिप्लोमा में संचालित किये जाने वाले प्रशिक्षण के प्रकार पर निर्भर होंगी ।

(4) डिप्लोमा पाठ्यक्रम केवल उस विषय पर संचालित किया जा सकेगा जिसमें पूर्ण विकसित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है ।

(5) अनुषंगी (सहायक) विभाग की सभी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिएं ।

(6) डिप्लोमा पाठ्यक्रम अधिनियम की धारा 13क के अनुसार केवल भारत सरकार की अनुमति से संचालित किया जा सकता है ।

18. शुल्क.—(1) समय-समय पर भारत सरकार की पूर्व अनुमति से परिषद् द्वारा शुल्क निर्धारित किया जाएगा ।

(2) छात्रावास, प्रयोगशाला, पुस्तकालय प्रभार को छोड़कर कैपिटेशन फीस (प्रति व्यक्ति शुल्क)/ चंदा (दान) आदि जैसे कोई अन्य प्रभार संस्था द्वारा वसूल नहीं किए जाएंगे ।

19. प्रवेश की अनुमति को वापिस लेना.—(1) यदि कोई संस्थान परिषद् के प्रतिमानकों के अनुरूप न्यूनतम मानकों और आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल होता है ।

(2) यदि परिषद् द्वारा स्वीकृत क्षमता से अधिक छात्रों को प्रवेश दिया जाता है ।

(3) यदि चंदा (दान) और कैपिटेशन शुल्क लिया जाता है ।

(4) यदि शिक्षा, छात्रावास और पुस्तकालय शुल्क विहित शुल्क से अधिक लगाया जाता है ।

20. अनुमति की प्रक्रिया (विधि).—(1) आवेदक संस्था अनुमति के लिए सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता हेतु सहमति सहित भारत सरकार को वर्ष के 1 दिसम्बर से 31 दिसम्बर तक आवेदन करेगी ।

(2) भारत सरकार द्वारा आवेदन-पत्र को वर्ष के 31 जनवरी तक परिषद् को अग्रसारित किया जाएगा ।

(3) आवेदन-पत्र प्राप्त होने के बाद परिषद् द्वारा प्रस्ताव की जाँच (छानबीन) की जाएगी तथा वांछित सूचना यदि कोई हो तो कॉलेज से प्राप्त की जाएगी । वर्ष की 28 फरवरी तक भारत सरकार को संस्तुति भेजने हेतु परिषद् द्वारा महाविद्यालय का परिदर्शन किया जाएगा ।

(4) भारत सरकार द्वारा संतुष्ट होने या सुनवाई का अवसर देने के बाद 31 मार्च तक स्वीकृति या अस्वीकृति, जैसा भी मामला हो का पत्र जारी करेगी ।

प्रेमराज शर्मा, निबन्धक सह-सचिव

[विज्ञापन III/4/असाधारण/124/10]

अनुसूची-I

(संदर्भः विनियम-5)

क्रम. सं.	पूर्ण नाम पद्धति	संक्षिप्त और अंग्रेजी समानान्तर (नाम)	विभाग जिसके अंतर्गत पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है
1.	पंचकर्म डिप्लोमा	डी. पंचकर्म	पंचकर्म विभाग
2.	क्षारकर्म डिप्लोमा	डी. क्षारकर्म	शल्य विभाग
3.	आयुर्वेदिक भेषज-रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना डिप्लोमा	डी. रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना	रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना विभाग
4.	आयुर्वेदिक सौंदर्य (कांतिवर्द्धक) प्रसाधन और त्वक् रोग में डिप्लोमा	डी. डर्मेटॉलोजी (आयु.)	कायचिकित्सा विभाग
5.	आयुर्वेदिक आहार विज्ञान डिप्लोमा	डी.एन. (आयु.) (डिप्लोमा इन न्यूट्रीशन-आयु.)	स्वस्थवृत विभाग
6.	स्वस्थवृत और योग डिप्लोमा	डी.पी.एच. (आयु.) (डिप्लोमा इन पब्लिक हैल्थ-आयु.)	स्वस्थवृत्त विभाग
7.	प्रसूति एवं स्त्री रोग डिप्लोमा	डी.जी.ओ. (आयु.) (डिप्लोमा इन ऑब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनकोलॉजी आयु.)	स्त्री रोग प्रसूति विभाग
8.	बाल रोग डिप्लोमा	डी. सीएच. (आयु.) (डिप्लोमा इन पीडिएऐटरिक्स-आयु.)	बाल रोग विभाग
9.	द्रव्यगुण (भेषज अभिज्ञान एवं मानकीकरण) डिप्लोमा	डी. फार्माकॉग्नोसी (आयु.)	द्रव्यमान विभाग
10.	मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान डिप्लोमा	डी. पी. एम. (आयु.) (डिप्लोमा इन साइकिऐटरिक-आयु.)	मानसरोग/कायचिकित्सा/ पंचकर्म विभाग
11.	नेत्र रोग विज्ञान डिप्लोमा	डी. ओ. (आयु.) (डिप्लोमा इन आप्थलमॉलॉजि-आयु.)	शालक्य विभाग
12.	रसायन और वाजीकरण डिप्लोमा	डी. जेरिएट्रिक्स (आयु.)	कायचिकित्सा विभाग

(1)	(2)	(3)	(4)
13.	आयुर्वेदिक संज्ञाहरण डिप्लोमा	डी. ए. (आयु.) (डिप्लोमा इन एनेस्थिसिऑलोजि-आयु.)	शल्य तंत्र
14.	छाया एवं विकिरण विज्ञान डिप्लोमा	डी. एम. आर. डी. (आयु.) रेडियो-डायग्नोसिस-आयु.	शल्यतंत्र/रोग निदान विभाग
15.	मर्म एवं अस्थि चिकित्सा (आर्थोपेडिक्स)	डी. आर्थो. (आयु.) (डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक्स-आयु.)	शल्यतंत्र
16.	रोग निदान विधि (डायग्नोस्टिक तकनीक)	डी. सी. पी. (आयु.) (डिप्लोमा इन क्लीनिकल पैथोलॉजी आयु.)	रोग निदान विभाग

अनुसूची-II

[सन्दर्भ : विनियम 11 का उप-नियम (7)]

क्र. सं.	डिप्लोमा/विशेषज्ञता का विषय	सिद्धांत प्रश्नपत्रों की संख्या	व्यवहार प्रश्नपत्रों की संख्या	सिद्धांत में कुल अंक	व्यवहार/मौखिक में कुल अंक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	पंचकर्म	दो	एक	200	100
2.	क्षारकर्म	दो	एक	200	100
3.	आयुर्वेदिक भेषज-रसायन एवं भेषज्य कल्पना डिप्लोमा	दो	एक	200	100
4.	आयुर्वेदिक सौंदर्य (कांतिवर्द्धक) प्रसाधन और त्वक् रोग में डिप्लोमा	दो	एक	200	100
5.	आयुर्वेदिक आहार विज्ञान	दो	एक	200	100
6.	स्वस्थवृत्त और योग	दो	एक	200	100
7.	प्रसूति एवं स्त्री रोग	दो	एक	200	100
8.	बाल रोग	दो	एक	200	100
9.	द्रव्यगुण (भेषज अभिज्ञान एवं मानकीकरण)	दो	एक	200	100
10.	मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान	दो	एक	200	100
11.	नेत्र रोग विज्ञान	दो	एक	200	100
12.	रसायन और वाजीकरण	दो	एक	200	100
13.	आयुर्वेदिक संज्ञाहरण	दो	एक	200	100
14.	छाया एवं विकिरण विज्ञान	दो	एक	200	100
15.	मर्म एवं अस्थि चिकित्सा (आर्थोपेडिक्स)	दो	एक	200	100
16.	रोग निदान विधि (डायग्नोस्टिक तकनीक)	दो	एक	200	100

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2010

No. 28-22/2009-Ay (PGD).—In exercise of the powers conferred by clauses (i), (j) and (k) of sub-section (1) of Section 36 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Council of Indian Medicine with sanction of Government of India in order to regulate the Post-graduate Diploma Course of Ayurveda, hereby makes the following regulations namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Indian Medicine Central Council (Post-graduate Diploma Course) Regulations 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these regulations, unless the context otherwise requires,—

(a) 'Act' means the Indian Medicine Central Council Act, 1970;

(b) 'Council' means the Central Council of Indian Medicine;

(c) 'recognized institution' means an approved institution under Section 13 A or 13 C of IMCC Act, 1970.

3. Aims and Objects.—(1) To produce efficient Ayurved specialist in clinical specialities.

(2) To produce the experts in various specialities for research and development in the field of Ayurved e.g. Dravyaguna, Rasashastra, Bhaishajya Kalpana etc.

(3) To have the skills and competence to diagnose and manage the conditions in respective area of specialities.

4. Specialities for Post-graduate diplomas are as follows.—1. Panchakarma

2. Kshar Karma

3. Ayurvedic Pharmaceutics

4. Twak Roga

5. Ayurvedic Dietetics

6. Swasthavritta and Yoga

7. Prasuti Evum Striroga

8. Balroga

9. Ayurvedic Pharmacognosy & Standardization (Dravyaguna Vigyan)

10. Manasik Swasthya

11. Netraroga Vigyan

12. Rasayan and Vajikaran

13. Ayurvedic Sangyahara

14. Chhaya Avum Vikiran Vigyan

15. Marma Avum Asthi Chikitsa (Orthopaedics)

16. Rog Nidan Vidhi (Diagnostic techniques)

5. The Nomenclature, the subject of Post-graduate Diploma Course and the Department under which the subject courses shall be included is as specified in Schedule-I.

6. Mode of Admission.— (a) Eligibility Criteria :—

1. A person possessing the degree in Ayurvedacharya (Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery) of a University or Board or medical institution specified in the Second Schedule to the Act shall be eligible for admission in the Post Graduate Diploma Course.

2. The University or Board or medical institution as the case may be, shall constitute an admission Committee, which shall supervise the admission procedure.

(b) Mode of selection.—Selection of candidates shall be made strictly on the basis of final merit list prepared out of aggregate marks of Under-graduate Course of all professional examinations of the candidates for all categories.

7. Period of study and attendance.—(1) The period of training for obtaining a Post Graduate Diploma shall be "Two" completed years including the examination period.

(2) The students shall have to attend at least 75% in theory and practical of total lectures and practicals and seminars to become eligible for appearing in the examination, every year as prescribed by Council.

(3) The students shall have to perform all hospital duties and other duties as may be assigned to them during the course of study.

(4) The students shall have to attend special lectures, demonstrations, seminars, study tours and such other activities as per curriculum prescribed programme.

(5) The students shall participate in all the teaching and training programmes and other activities of the Department.

(6) The institution shall conduct **at least one Seminar** in a week and every student should participate in that Seminar. Every student shall make presentation on identified subject and at least ten seminars should be presented to make eligible to appear in the final year examination.

8. Method of training.—(1) Intensive training shall be provided in classical knowledge along with comparative and critical study in the respective speciality.

(2) The emphasis shall be given on intensive applied training.

(3) In the clinical training the student shall undertake the responsibility in the management and treatment of patients independently and deal with emergencies so as to acquire the knowledge of independent work as a specialist.

(4) In the specialities of Shalya, Shalakya and Prasuti & Striroga the students shall have to undergo training of investigative procedures, techniques and surgical performance of procedure and management in the related specialities.

(5) The theoretical and teaching and practical training shall be as per syllabus specified by the Council from time to time.

9. Project Work.—(1) In the last six months of second year student have to submit the project work on the subject allotted by guide.

(2) The subject of project work shall be practical oriented, and helpful in the development of competence in the respective specialities.

(3) The subject of the project work shall have relation with the subject matter of the speciality.

10. Examinations.—Diploma examination in any subject shall consist of theory, clinical, practical and oral.

(1) **Theory**: There shall be two theory papers and two sections in each paper. One paper out of these shall essentially consist of the basics of the concerned discipline.

(2) **Clinical**: Clinical examination of the subject shall be conducted to test/aimed at assessing the knowledge and competence of the candidate for undertaking independent work as a specialist.

(3) **Practical**: Practical examination shall be conducted to assess practical skill and competence of respective specialities.

(4) **Viva-Voce**: The Viva-voce examination shall be thorough and shall aim at assessing the candidate's knowledge, competence, understanding of the subject and communication skill of concerned subject which shall form a part of examination.

11. Examination and assessment.—The post-graduate diploma course shall have two examinations in the following manner :—

(1) The preliminary examination shall be conducted by the institution where student is under going training at the end of one academic year after admission to make the student eligible to appear in the final examination.

(2) The final examination shall be conducted at the end of second year. The students will have to pass preliminary examination at least 90 days before appearing final year examination.

(3) The examination shall be aimed to test the clinical acumen, ability and working knowledge of the student in the practical aspect of the speciality and his/her fitness to work independently as a specialist.

(4) The clinical/practical examination shall aim at a careful assessment of the competence of the student.

(5) The viva-voce part of the practical examination shall involve extensive discussion on any aspect of the speciality.

(6) Minimum passing marks shall be 50% in theory and practical separately and maximum grace marks will be 05 in one paper only.

(7) The Number of Papers and Marks for theory/ practical for First and Second year shall be as mentioned in Schedule II.

(8) The final examination conducted by the University at the end of two years shall cover 75% of II year and 25% syllabus of I year.

(9) The Question paper of University shall cover each and every topic of the syllabus.

(10) Minimum 50% shall be the pass marks, however, the result will indicate only Satisfactory/Non-satisfactory.

12. Examiner.—(1) The examiner shall be appointed on yearly basis and may be re-appointed after the gap of one year examination.

(2) The examiner should not be less than the post of Reader/Sr. Lecturer.

(3) Contractual or temporary teacher shall not be appointed as Examiner.

(4) The examiner shall possess teaching experience of five years PG teaching.

(5) The examiner should not be more than the age of 70 years.

13. Minimum requirement for conducting Post Graduate Diploma Course.—(1) Post Graduate Diploma will be conducted in the existing recognized Post Graduate Centres under the concerned subject of Post Graduate Degree.

(2) The Centre shall have adequate infrastructure, equipments, faculty and facilities required for training in the related speciality and subject.

14. Rights and Privileges of PG Diploma Holders.—(1) To practice in concerned discipline as a specialist.

(2) Post Graduate Diploma Holder shall be eligible to join Post Graduate i.e. MD (Ay.)/MS (Ay.) Ayurved Courses in the concerned speciality and the duration of MD (Ay.)/MS (Ay.) Ayurved Course for such candidates shall be two years only.

15. Student Teacher Ratio.—Five seats of PG Diploma Course shall be provided where there is one additional teacher with PG qualification in concerned subject and where there is no additional teacher only two seats will be provided.

16. Number of students for each course.—Number of students shall be proportional to the intake of admission to P.G. Degree Courses or maximum of 05 students in each subject.

17. Criteria for Recognition.—1. An institution recognized by Government of India under definition of Section 13 A or 13 C of IMCC Act, 1970.

2. PG Diploma will be conducted where Post-graduate degree course is being conducted by the Institution.

3. The Centre shall satisfy the Minimum requirements of Under-graduate and Post-graduate training as prescribed by the Council depending upon the type of training to be conducted in Diploma.

4. Diploma Course can be conducted in the subject only in which full-fledged PG Course is being conducted.

5. All the facilities of ancillary departments should be available.

6. Diploma Course can be conducted only with the permission of Government of India in accordance to Section 13 A of IMCC Act, 1970.

18. Fee.—(1) Fee shall be fixed by the Council, from time to time, with the prior permission of Government of India.

(2) No other charges like Capitation fee/Donation shall be levied by the Institution except the Hostel, Laboratory and Library charges.

19. Withdrawal of permission of admission.—(1) If an Institute fails to meet the minimum standards and requirement in conformity with the norms of the Council.

(2) If students are admitted more than strength sanctioned by the Council.

(3) If donation and capitation fee are charged.

(4) If tuition, hostel and library fee are charged more than the prescribed fee.

20. Procedure of permission.—1. The applicant Institution shall apply to the Government of India with the Consent for affiliation of the concerned University for permission from 1st December to 31st December of the year.

2. The application shall be forwarded to the Council by Government of India by 31st January of the year.

3. After receipt of the application the proposal will be scrutinized by the Council and desired information if any will be obtained from the college. The college will be visited by the COUNCIL to make the recommendation to the Government of India by 28th February of the year.

4. The Government of India after satisfying or giving opportunity of hearing shall issue Letter of Permission or rejection by 31st March as the case may be.

P.R. SHARMA, Registrar-cum-Secy.

[ADVT-III/4/Exty./124/10]

SCHEDULE-I

(Ref: Regulation - 5)

Sl. No.	Full Nomenclature	Abbreviation and English equivalent	Department under which the subject course in included
1.	Diploma in Panchakarma	D. Panchkarma	Panchkarma Department
2.	Diploma in Kshar Karma	D. Kshar Karma	Shalya Department
3.	Diploma in Ayurvedic Pharmaceutics– Ras Shastra & Bhaishajya Kalpana	D. Ras Shastra and Bhaishajya Kalpana	Rasashastra and Bhaishajya Kalpana Department
4.	Diploma in Ayurvedic Cosmetology & Skin Disease (त्वक सौन्दर्य एवं रोग विज्ञान)	D. Dermatology (Ay.)	Kayachikitsa Department
5.	Diploma in Ayurvedic Dietetics	D.N. (Ay.) [Diploma in Nutrition-Ay.]	Swasthavritta Department
6.	Diploma in Swasthavritta and Yoga	D.P.H. (Ay.) [Diploma in Public Health-Ay.]	Swasthavritta Department
7.	Diploma in Prasuti & Striroga	D.G.O.(Ay.) [Diploma in Obstetrics and Gynecology-Ay.]	Prasuti & Striroga Department
8.	Diploma in Balroga	D.Ch. (Ay.) [Diploma in Paediatrics-Ay.]	Balroga Department
9.	Diploma in Dravyaguna (Pharmacognosy and Standardization)	D. Pharmacognosy (Ay.)	Dravyaguna Department
10.	Diploma in Manasik Swasthya Vigyan	D.P.M. (Ay.) [Diploma in Psychiatry-Ay.]	Manasroga/Kayachikitsa/ Panchkarma Department
11.	Diploma in Netra Roga Vigyan	D.O. (Ay.) [Diploma in Ophthalmology-Ay.]	Shalakya Department
12.	Diploma in Rasayan and Vajikaran	D. Geriatrics (Ay.)	Kayachikitsa Department
13.	Diploma and Ayurveedic Sangyaharan	D.A. (Ay.) [Diploma in Anesthesiology-Ay.]	Shalya Department
14.	Diploma in Chhaya evam Vikiran Vigyan	D.M.R.D. (Ay.) [Diploma in Radiodiagnosis - Ay.]	Shalya/Rog Nidan Department
15.	Marma evam Asthi Chikitsa (Orthopaedics)	D. Ortho (Ay.) [Diploma in Orthopaedics-Ay.]	Shalya Department
16.	Rog Nidan Vidhi (Diagnostic techniques)	D.C.P. (Ay.) [Diploma in Clinical Pathology - Ay.]	Rog Nidan Department

SCHEDULE-II

[Ref : Sub-regulation (7) of Regulation 11]

Number of Papers and Marks for theory/practical for First and Second year :

Sl. No.	Subject of Diploma/Specialty	No. of Theory Papers	No. of Practical	Total Marks in Theory	Total Marks in Practical/ Oral
1.	Panchkarma	Two	One	200	100
2.	Kshar Karma	Two	One	200	100
3.	Ayurvedic Pharmaceutics - Ras Shastra and Bhaishajya Kalpana	Two	One	200	100
4.	Ayurvedic Cosmetology and Skin disease	Two	One	200	100
5.	Ayurvedic Dietetics	Two	One	200	100
6.	Swasthavritta and Yoga	Two	One	200	100
7.	Prasuti and Striroga	Two	One	200	100
8.	Balroga	Two	One	200	100
9.	Dravyaguna (Pharmacognosy and Standardization)	Two	One	200	100
10.	Mansik Swasthya Vigyan	Two	One	200	100
11.	Netraroga Vigyan	Two	One	200	100
12.	Rasayan and Vajikaran	Two	One	200	100
13.	Ayurvedic Sangyaharan	Two	One	200	100
14.	Chhaya evam Vikiran Vigyan	Two	One	200	100
15.	Marma evam Asth Chikitsa (Orthopeadics)	Two	One	200	100
16.	Rog Nidan Vidhi (Diagnostic techniques)	Two	One	200	100

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.